



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 357 राँची, गुरुवार, 25 ज्येष्ठ, 1945 (श०)
15 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

31 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-93/2019-21358 (HRMS)--श्री बंका राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-852, दिनांक 01.11.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री राम के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित हैं-

1. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू दिनांक 19.02.2016 से 06.10.2018 तक विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के प्रभार में कार्यरत थे। श्री राम, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14.06.2018 को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में संधारित खाता सं.-11112105417 से मो0 12,60,00,000.00 (बारह करोड़ साठ लाख) रु0 की निकासी कर उक्त राशि का गबन किया गया है ।

2. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा भारतीय स्टेट बैंक डालटनगंज से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट का मिलान कार्यालय में संधारित चेक निर्गत पंजी से नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गई।

3. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा उक्त राशि की निकासी की प्रविष्ट रोकड़ पंजी में नहीं कराना यह स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा एक षडयंत्र के तहत उक्त राशि गबन किया गया है।

4. श्री राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा बैंक स्टेटमेंट का Conciliation नहीं कर उक्त राशि के गबन के तथ्य को छुपाया गया है।

5. श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के उपर्युक्त कार्य पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(i),(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9295, दिनांक-22.11.2019 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री राम द्वारा अपने पत्रांक-2266 दिनांक-11.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-3777, दिनांक 04.03.2020 द्वारा इनको निलंबित किया गया है तथा विभागीय संकल्प सं0-7860, दिनांक 28.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-99, दिनांक 10.02.2021 द्वारा श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस कांड से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है एवं न्यायालय में चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है, इस आलोक में आरोपी पदाधिकारी प्रश्नगत चेकों से ₹0 12,60,00,000/- की राशि निकासी के मामले में निर्दोष प्रतीत होते हैं। उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत करने योग्य है एवं प्रपत्र 'क' पर गठित आरोप आरोपी पदाधिकारी पर प्रमाणित नहीं होता है।

श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

“आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में कहा गया कि साईबर अपराधियों द्वारा बैंक कर्मियों के मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षर से उक्त 12.60 करोड़ राशि का अवैध हस्तांतरण किया गया है तथा इस मामले में नाजीर श्री रामाशंकर सिंह, पूर्णरूपेण संलिप्त है, क्योंकि उन्हें बार-बार निदेश देने के बावजूद उन्होंने अपना बेसिक कार्य रोकड़ पंजी का संधारण और बैंक स्टेटमेंट का मिलान नहीं किया, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार योग्य बताया गया है।

संचालन पदाधिकारी के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि श्री राम दिनांक 19.02.2016 से 06.10.2018 तक विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर,

पलामू के प्रभार में थे एवं भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में संधारित विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के खाता संख्या-11112105417 से 12,60,00,000/- (बारह करोड़ साठ लाख) रुपये की निकासी दिनांक 15.06.2018 को हुई है। उनके द्वारा इस मामले में प्राथमिकी अपने स्थानांतरण के पश्चात् महागामा थाना, गोड्डा में थाना कांड सं0-12/2018, दिनांक 27.11.2018 दर्ज की गयी। श्री राम का यह कहना है कि रोकड़ बही, चेक पंजी, चेक बुक पंजी नाजीर के पास रहता है एवं उसका Custodian वही रहते हैं, को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु श्री राम उक्त कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे। अतः श्री राम द्वारा रोकड़ पंजी का संधारण और बैंक स्टेटमेंट का मिलान ससमय किया जाता, तो मामला उनके संज्ञान में उसी समय आ जाता और इतनी बड़ी सरकारी राशि का अवैध हस्तांतरण नहीं हो पाता। श्री राम का कहना कि उनके द्वारा नाजीर को निदेश देने के बावजूद उन्होंने अपना बेसिक कार्य रोकड़ पंजी का संधारण और बैंक स्टेटमेंट का मिलान नहीं किया गया, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चले कि नाजीर को इनके द्वारा निदेश दिया गया है। उक्त तथ्य से यह भी प्रतीत होता है कि श्री राम का अपने कार्यालय पर नियंत्रण नहीं था। अतः श्री राम के स्तर से प्रशासनिक चूक एवं लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता है, फलस्वरूप इतनी बड़ी राशि का गबन हुआ।”

समीक्षोपरांत श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू को विभागीय अधिसूचना सं0-17675(HRMS), दिनांक 14.10.2022 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन/मंतव्य से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए प्रस्तावित तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6573, दिनांक 19.10.2022 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री राम के पत्रांक-219, दिनांक 14.02.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया गया है कि इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचलान पदाधिकारी के पत्रांक-99 दिनांक 10.02.2021 के द्वारा कोई आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है। अवैध निकासी के मामले में वे पूर्णतः निर्दोष हैं। तदनु रूप उनके द्वारा समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

(i) भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के बैंक कर्मियों एवं साईबर अपराधियों की मिलीभगत से बैंक जमा सरकारी राशि का फर्जी चेक और फर्जी हस्ताक्षर से अवैध हस्तांतरण किया गया। मुख्य शाखा, प्रबंधक के पत्रांक CM/DTNG/184 दिनांक 08.11.2019 द्वारा बताया गया कि चेक संख्या-056584 एवं 056585 उत्तरी कोयल परियोजना के खाता नंबर-11112105417 के लिए निर्गत ही नहीं किया गया था।

(ii) उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-261/नजा0, दिनांक 13.12.2019 के अनुसार जिला नजारत शाखा के खाता संख्या-11112106147 के लिए चेक संख्या-056584 056585 एवं 056596 निर्गत किया गया था, जिसका भुगतान उसी बैंक शाखा द्वारा 2011 में कर दिया गया। जिला नजारत हेतु निर्गत चेक जिसका भुगतान पूर्व में हो चुका था, उस नंबर के चेक को क्लोन कराकर उत्तर कोयल परियोजना के खाते से अवैध रूप से हस्तांतरण कराया गया, जिसके लिए पूर्णरूपेण बैंक कर्मों एवं साईबर अपराधी जिम्मेवार हैं।

(iii) गुमला से भी भारतीय स्टेट बैंक के कर्मियों एवं साईबर अपराधियों की मिलीभगत से 9.05 करोड़ रुपये का अवैध हस्तांतरण हुआ था, जो पकड़ में आने पर वापस लौटाई गयी। पैसा लौटाने के लिए इन्होंने भी लोकपाल बैंकिंग को एक पत्र लिखा है।

(iv) पलामू जिला में पदस्थापन के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, स्थापना उपसमाहर्ता, खास महल पदाधिकारी, विधि-शाखा प्रभारी, प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार के अतिरिक्त उत्तर कोयल परियोजना के विशेष भूअर्जन पदाधिकारी के प्रभार में 19.02.2016 से 06.10.2018 तक रहा, ज्यादा समय जिला स्तरीय कार्यों में ही व्यतीत हो जाता था। प्रभार वाले कार्यालय पर कम समय मिल पाता था।

(v) भारतीय स्टेट बैंक की कुमार डुबी धनबाद के शाखा प्रबंधक द्वारा इनके मोबाइल पर कॉल आया कि सुरेश सिंह नामक व्यक्ति चेक संख्या 056596 सम्मिलित राशि 3.72 करोड़ क्लियरेंस कराने का प्रयास किया जा रहा है, इन्होंने तुरंत मना किया और महागामा थाना काण्ड से 12/18 दिनांक 27.11.2018 को मामला दर्ज कराया, इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त, पलामू को दिया और 3.72 करोड़ की राशि का अवैध हस्तांतरण से बचाया।

(vi) अवैध रूप से निकासी मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मों साईबर अपराधी, नाजिर रमाशंकर सिंह पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

(vii) जो अपराध इन्होंने नहीं किया, लंबी चली विभागीय कार्यवाही में कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, उसमें इनपर वृहत दण्ड अधिरोपित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

साथ ही इनका यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी का भी यह मंतव्य है कि “चूँकि प्रश्नगत चेक S.B.I. कचहरी शाखा, डाल्टेनगंज द्वारा विशेष भू-अर्जन कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना के पक्ष में निर्गत ही नहीं किया गया है तो उक्त चेकों का मामला जब भुगतान हेतु बैंक में पेश किया गया तो बैंक द्वारा कैसे भुगतान किया गया यह प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। प्रश्नगत चेकों का भुगतान जब 2011 में ही हो गया है तो निश्चित ही Computer system में Alert show हुआ होगा, बावजूद बैंक द्वारा राशि का भुगतान किया जाना बैंक कर्मियों की मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि साईबर अपराधियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी चेक और फर्जी हस्ताक्षर से सरकारी राशि का अवैध हस्तांतरण में बैंक कर्मियों की संलिप्तता है। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस कांड से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है एवं न्यायालय में चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है, इस आलोक में आरोपी पदाधिकारी प्रश्नगत चेकों से ₹0 12,60,00,000/- की राशि निकासी के मामले में निर्दोष प्रतीत होते हैं। उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत करने योग्य है एवं प्रपत्र ‘क’ पर गठित आरोप आरोपी पदाधिकारी पर प्रमाणित नहीं होता है।

श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप, पूर्व में इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं विभागीय पत्रांक-6573, दिनांक 19.10.2022 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर समर्पित कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री राम के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण तथा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान में प्रस्तुत

किया गया है। उनके द्वारा समर्पित सारे तथ्यों की पूर्व में समीक्षा किये जाने के पश्चात् ही विभागीय पत्रांक-6573, दिनांक 19.10.2022 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

अतः श्री बंका राम, झा0प्र0से0, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बंका राम, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BANKA RAM BHR/BAS/3146	श्री बंका राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू, सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
